कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल गोपालगंज–1

E-Mail ID-eerwdgopalganj1@gmail.com Mob. No-8986915258

पत्रांकः– 1089 / गोपालगंज दिनांकः– 23 / 06 / 2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल गोपालगंज–1

सेवा में,

आई0टी0 नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत पथ को State MIS में जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत प्रशासनिक प्राप्त Construction of Road Khairatia Hariharpur Kararia Road and Pot Repair work in 2.00 Km Part of Yadopur to Thawe Durga Mandir Road को State MIS में नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण उस पथ का नाम State Mis में नहीं है।

अतः उक्त पथ को MMGSUY योजना अन्तर्गत पथ का नाम State MIS में जोड़ने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

23/6/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज–1

EE RWD GOPALGANJ-1

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION,GOPALGANJ-1

Sl No.	Scheme	Division	Assembly	Block	sanction year	Road Name	AA latter No. & date	Length (In km)	Cost of Initial Rectification, Minor Improvement and Surface Renewal (In Lacs)	Cost of five years operation & Management(o&M) Cost (In Lacs)	Emergent & Price Adjustment @15% const (in Laks)	Administrative const and Contigency const @ 2.25%+1% (in Laks)	Total Estimated Cost (In lacs)
1	MMGSUY	Gopalganj-1	Gopalganj	Gopalganj	2024-25	Construction of Road Khairatia Hariharpur Kararia Road and Pot Repair Work in 2.00 Km Part of Yadopur to Thawe Durga Mandir Road	Letter No. 698 dt. 31.03.2025	3.800	119.316	0.000	0.000	0.000	119.316

Yuishry
23/6/25

Executive Engineer,
R.W.D. Works Division,
Gopalganj-1

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 -698 /पटना, दिनांक– 31-03-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ–5 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ–7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रू0 1199.390 लाख रूपये मात्र है, पर (कुल 25 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 05 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के वीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 1199.390 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

SL No	Division	Block	Name of Road	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	Const. Of Upgradation/ Strenthening with surface (In lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buxar	Simri	Simri Aspatal to Hanuman Mandir	0.950	34.496	34.496
2	Buxar	Simri	Simri Bazar to Mission More	1.500	43.621	43.621
3	Buxar	Simri	Keshopur Water plant ke Andar Helipad to PCC Road tak Path Nirman	0.230	33.477	33.477
4	Buxar	Simri	Purana Bhojpur Simri Path to sonbarsa Via Majhwari, Dulhapur Path	1.300	38.854	38.854
5	Buxar	Simri	Rajpur to Malahchakiya Road via Chhotka Rajpur Shivala Path	1.440	44.822	44.822
6	Buxar	Buxar	Dudharchak to Mission More Via Badka Gaon Nat Path	1.325	43.126	43.126
7	Aurangabad	Deo	Dev to Parihaya Via Ketaki	3.000	3.081	3.081
8	Aurangabad	Deo	MR to Road from Deo More to Kumhar Bigha & five year Maintenance	1.900	7.739	7.739
9	Aurangabad	Deo	Deo to Kachanpur	5.900	3.652	3.652
10	Aurangabad	Nabinagar	Chandragarh to Gajanadham Via Munga Bhagwanpur Tak Road	12.850	42.242	42.242
11	Aurangabad	Nabinagar	T03- Nabinagar to Khajuri Tikka (VR3)	0.700	4.646	4.646
12	Gapalganj-I	Gopalganj	Const. of Road Khairatia harihatpur Kararia Road and Pot Repair Work in 2.00 KM Part of Yadopur to Thawe Durga Mandir Road	3.800	119.316	119.316
13	Chakia	Kesharlya	Repair of Road From PWD Road to Sundarpur to Yadav Tola	0.664	22.82	22.82
14	Barh	Athmalgola	NH-31-A to New Block Office Athmagola	0.650	52.974	52.974

Sl. No	Division	Block	Name of Road	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	Const. Of Upgradation/ Strenthening with surface (In lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
15	Madhubani	Kaluahi	Repair of Road from Belahi to Shivpatti via Dokhat	3.000	191.240	191.240
16	Madhubani	Kaluahi	NH to Kanhauli	1.800	11.708	11.708
17	Madhubani	Rajnagar	Fulchania hat to Babubarih Border	3.880	19.409	19.409
18	Madhubani	Rajnagar	L058-L021 to Bangawan (VR58)	1.300	9.478	9.478
19	Madhubani	Rahika	Kakraul To Kakraul Goth	1.430	67.938	67.938
20	Jamui	Jamui	Garsanda Sonpey Bukar Via Baladih Missing Link	2.080	117.64773	117.64773
21	Jamui	Jamui	Sonpey Ware House to Labour Superitndent Office & Khlmain & Helipaid (Sonpay)	1.588	80.23574	80.23574
22	Jamui	Jamui	Khargpur Manjhway Garo Nawada Road to ware House (Sonpey)	1.727	117.07762	117.07762
23	Jamui	Jamui	Jamui Jhajha PWD Road to Sonpey	1.294	73.75647	73.75647
24	Jamui	Khaira	Jamui Khuwakol Main Road to Tetariatard Road Helipad & Sabhasthal	0.3667	12.588	12.588
25	Aurangabad	Barun	Jamhaura to Parasia	1.00	3.445	3.445
	Total			55.675		1199.390

2. मांग संख्या–37–मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष –796–अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष –0110– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जनजाति), विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– 37–4515–00–796–0110, मूल बजट उपबंध–75 करोड़ रु0 है।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025, दिनांक– 30.03.25 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजना का **विभागीय रुप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 में दिनांक 31.3.25 को पृ0– 27/टि0 पर प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 के पृ0– 28/टि0 पर दिनांक– 31.03.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 698 /पटना, दिनांक– 31-03-2025

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 699 /पटना, दिनांक– 31-03-2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

मुख्य अभियंता –5 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– II/मु0अ0–5, त0स्वी0–07–99/2025 पटना दिनांकः–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सिवान**।

विषयः–**शीर्ष मुख्यमंत्री , बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 के Construction of Road Khairatia Harihapur Keraria Road and Pot Repair Work in 2-00 KM Part of Yadopur to Thawe Durga Mandir Road मरम्मति कार्य के प्राक्कलन पर घटनोत्तर तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान का पत्रांक–295 अनु0 दिनांक–25.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **गोपालगंज–1** के अधीन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में पूर्ण किया गया है, जिसके प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में घटनोत्तर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh)	Post Facto T.S. Amount (in Lakh)
1.	Gopalganj-1	Construction of Road Khairatia Harihapur Keraria Road and Pot Repair Work in 2-00 KM Part of Yadopur to Thawe Durga Mandir Road	3.800	698/31.03.25	119.316	119.32

2. निर्माण कार्य **एम0एम0जी0एस0यू0वाई0** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिकत मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।

8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **सिवान** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **सिवान** को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लेगें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–5, पटना

ज्ञापांकः– 1296 पटना, दिनांकः– 2/5/25

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **गोपालगंज–1** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

30.04.25

मुख्य अभियंता–5, पटना